न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-304RAAJodhpur2023-154RTA225 Jagaram Vs Dr. Mohit Ashiya etc

जगाराम पुत्र श्री बिरदाराम जी जाति पटेल, निवासी- कटारड़ा, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. डॉ. मोहित आशिया पुत्र लादूदान चारण, निवासी- शक्ति नगर, गली संख्या 06, पावटा सी रोड़, जोधपुर।
2. सुमन चौधरी पत्नी श्री जोराराम, जाति जाट, निवासी- डुडी नगर, दुगर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 23 अगस्त 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 75/2022 मोहित आशिया बनाम सुमन चौधरी इत्यादि

उपस्थित-

श्री कानाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री अनोपसिंह सोलंकी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 05 फरवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 75/2022 मोहित आशिया बनाम सुमन चौधरी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23 अगस्त 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 06 सितंबर 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

151/1 रकबा 0.3237 हैक्टेयर ग्राम कटारड़ा तहसील झंवर में आवागमन हेतु अपीलांट व अन्य रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा नं. 39/3 एवं 42 ग्राम रोहिला भाण्डू में से सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार मार्क ए से बी 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 अगस्त 2023 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलोच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। खेत खसरा नं. 145 एवं 151 ग्राम कटारड़ा का खातेदार काश्तकार गिरधारीसिंह पुत्र गोपालदान चारण है। खातेदार गिरधारीसिंह का खेत खसरा नं. 145 एवं 151 सरकारी कट्टाणी रास्ता खसरा नं. 82 से जड़ा हुआ है। गिरधारीसिंह का खेत रास्ते से जुड़ा हुआ होने के कारण गिरधारीसिंह किसी अन्य की खातेदारी भूमि में सें रास्ते की मांग करने का हकदार नहीं था। गिरधारीसिंह द्वारा अपने निकटतम रिश्तेदार मोहित आशिया चारण के नाम आनी खातेदारी की भूमि में सें रकबा 0.3237 हैक्टेयर हस्तांतरण बताकर इन्द्राज करवायी है, उसके पश्चात उसके नये खसरा नंबर गिरधारीसिंह ने अपनी सहमति से खसरा नंबर 151/1 रकबा 0.3237 हैक्टेयर मोहित आशिया चारण के नाम से इन्द्राज हुई है। गिरधारीसिंह के निकटतम रिश्तेदार मोहित आशिया ने गिरधारीसिंह की मिलीभगती से खसरा नं. 151/1 के लिये रास्ते की मांग अपीलांट के खाते की भूमि से की है जो इस प्रकार रास्ता की मांग करने का अधिकार मोहित आशिया को नहीं था। रेस्पोडेंट मोहित आशिया को भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 की धारा 13 के तहत खसरा नं. 145 एवं 151 में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सें रास्ते का अधिकार प्राप्त है। इसी बुनियाद पर रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज योग्य है। अपीलांट की ओर से जुलाई 2023 में वकालतनामा प्रस्तुत किया गया था व जवाब दिये जाने हेतु समय की मांग की गई। पत्रावली अप्रार्थी संख्या एक से पांच की तामील हेतु मुकर्रर थी। अप्रार्थी संख्या सात तहसीलदार की भी तामील होनी थी। अप्रार्थी संख्या एक से पांच की तामील पर्याप्त परिक्षण द्वारा नहीं मानी गई और अप्रार्थी संख्या सात की तामील भी प्रार्थना पत्र में नहीं हुई थी। विचावरण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेशिकाओं में अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाया जाना दर्शाया गया है एवं निर्णय में अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा की उपस्थित दर्शायी गई है। परिक्षण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, रीडर, पटवारी हल्का, भू-अभिलेख निरीक्षक एवं रेस्पोडेंट मोहित आशिया द्वारा एक आपराधिक षडयंत्र रचकर अपीलांट को नुकसान पहुंचाने एवं रेस्पोडेंट मोहित आशिया को फायदा पहुंचाया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 अगस्त 2023 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही लघतुम एवं निकटतम रास्ता है। अपीलाधीन आदेश की पालना में राजस्व रेकर्ड इन्द्राज हो चुका है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द में भी अपीलाधीन रास्ते का लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर लघतुम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 17 अगस्त 2023 में रेस्पोडेंट/प्रार्थी के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते को लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है। उक्त मौका फर्द में रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर अन्य कोई लघुतम एवं निकटतम रास्ता नहीं होना बताया गया है।

जहां तक अपीलांट का उज्र है कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु खसरा नं. 145 एवं 151 में से रास्ता उपलब्ध है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द में उक्त रास्ते के विकल्प का जिक्र नहीं है तथा न ही अपीलांट द्वारा किसी दस्तावेज के जरिये यह साबित नहीं किया गया है कि उक्त रास्ता अपीलाधीन रास्ते के बजाय निकटतम है। इन परिस्थितियों में विचारण द्वारा रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 अगस्त 2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर